

प्रीलिमिंस फैक्ट्स: 15 जून, 2019


- [लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक](#)
- [मंकीपॉक्स वायरस](#)
- [भारत में 596 नई प्रजातियों की खोज](#)
- [काले धन कानून के तहत नए मानदंड](#)

लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक

Lorenz Curve and Gini Coefficient

लॉरेंज वक्र विधि (Lorenz Curve Method)

- लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय वषमता को ज्ञात किया जाता है।
- इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है, जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं।
- यदि समाज के 10 प्रतिशत लोगों के पास कुल आय का 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत लोगों के पास 20 प्रतिशत हो एवं इसी अनुपात में आगे भी बढ़ रहा हो तो इन्हें प्रदर्शित करने वाली रेखा 45° रेखा होगी।
- इसे हम 'पूर्ण समता रेखा' या 'नरिपेक्ष समता रेखा' भी कहते हैं।
- लॉरेंज वक्र जतिना ही नरिपेक्ष समता रेखा के पास होगा, आय की वषमता उतनी ही कम होगी।
- लॉरेंज वक्र को वर्ष 1905 (कहीं-कहीं पर इस संदर्भ में वर्ष 1906 का भी जिक्र किया गया है) में मैक्स ओ-लॉरेंज ने विकसित किया था। इन्हीं के नाम पर इसे लॉरेंज वक्र नाम दिया गया।



गिनी गुणांक (Gini Coefficient)

- गिनी गुणांक को वर्ष 1912 में इटैलियन सांख्यिकीविद् कोरेडो गिनी (Corrado Gini) ने विकसित किया।
- यह गुणांक आय के वितरण की वषिमता की माप की सबसे प्रचलित वधि है, जो आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर की माप करती है।
- यह वास्तविक लॉरेंज वक्र तथा निरपेक्ष रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा निरपेक्ष समता रेखा के नीचे के संपूर्ण क्षेत्र के बीच अनुपात प्रदर्शित करता है।

$$\text{गिनी गुणांक} = \frac{\text{छायांकित क्षेत्रफल}}{\text{समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल}}$$

- गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होगा तथा न्यूनतम मूल्य शून्य के बराबर होगा।
- गिनी गुणांक में यदि 100 से गुणा कर दें तो हम गिनी सूचकांक प्राप्त कर सकते हैं।

मंकीपॉक्स वायरस (Monkeypox Virus-MPXV)

पछिले माह सगिपुर में नाईज़ीरिया से गए एक व्यक्ति में मंकीपॉक्स वायरस के लक्षण पाए गए।

- मंकीपॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्सवाइरस है (Orthopoxvirus) है जिससे वायरल फैलाता है।
- इसके लक्षण सामान्यतः मानव चेचक (Human Smallpox) के समान होते हैं।
- उल्लेखनीय है कि चेचक (Smallpox) को वर्ष 1990 में विश्व से उन्मूलित घोषित कर दिया गया लेकिन मंकीपॉक्स अभी भी मध्य एवं पश्चिमी अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों (उष्णकटिबंधीय वर्षावनों वाले क्षेत्रों) में मौजूद है।

- जूनोटिक रोग होने के कारण यह जानवरों के माध्यम से मानव में फैलता है। हालाँकि एक मानव से दूसरे मानव में इसके संक्रमण की संभावना बहुत सीमिति होती है।
- अभी तक इस रोग का कोई वैशेष टीका उपलब्ध नहीं हो पाया है परंतु वैशेष स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इसे रोकने में चेचक (Smallpox) का टीका प्रभावी साबित होता है।
- मानव में मंकीपॉक्स के संक्रमण का मामला पहली बार वर्ष 1970 में कांगो रिपब्लिक में नज़र आया था।

भारत में 596 नई प्रजातियों की खोज

बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (Botanical Survey of India) एवं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (Zoological Survey of India) द्वारा प्रकाशित पत्र के अनुसार, वर्ष 2018 में भारत में 596 जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियाँ खोजी गईं।

- इन 596 प्रजातियों में 372 प्रजातियाँ जंतुओं की हैं जबकि अन्य 224 पादप प्रजातियाँ हैं।
- वर्तमान में भारत में कुल ज्ञात प्रजातियों की संख्या में जंतुओं की संख्या 1,01,681 तथा पादपों की संख्या 49,441 है।
- भारत में अनुमानतः वैशेष की कुल जंतु प्रजातियों का 6.49 प्रतिशत तथा पादप प्रजातियों का 11.5 प्रतिशत पाया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि इन नई प्रजातियों में 31 पादप प्रजातियाँ हिमालय क्षेत्र में तथा लगभग 50 प्रतिशत प्रजातियाँ पश्चिमी घाट के जैव-विविधता हॉटस्पॉट से खोजी गईं हैं।
- सर्वाधिक प्रजातियाँ केरल में (59) खोजी गईं हैं, उसके बाद पश्चिमी बंगाल (38) तथा तमिलनाडु (26) का स्थान आता है।

काले धन कानून के तहत नए मानदंड

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes- CBDT) ने मनी लॉड्रिंग/धनशोधन, वैदेशी संपत्तियों को छुपाने तथा बेनामी संपत्तियों के कब्जे के लिये नए दशा-नरिदेश जारी किये हैं। नए दशा-नरिदेशों के तहत **नयियों के उल्लंघन को प्रत्यक्ष कर कानून, 2019** के तहत प्रशम्य अपराध नहीं माना जाएगा।

- इन दशा-नरिदेशों को 17 जून, 2019 से लागू किया जाएगा।
- प्रशम्य अपराध (Compounding of Offences) ऐसे अपराध होते हैं, जिन्हें न्यायालय की अनुमति के बिना, विवाद उत्पन्न होने पर पक्षकारों द्वारा ही सुलझाया जा सकता है।

इन दशा नरिदेशों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है

- **पहली श्रेणी:**
 - स्रोत पर की गई कर कटौती या एकत्रित कर के अंतर्गत चूक।
 - रटिर्न फाइल करने में वफिलता।
- **दूसरी श्रेणी:**
 - जान-बुझकर की गई कर चोरी।
 - किसी खोज अभियान में कर वसूली को वफिल करने के लिये संपत्ति को छुपाना या उसका स्थानांतरण अथवा वितरण करना।
- **तीसरी श्रेणी:**
 - किसी व्यक्ति द्वारा किये गए ऐसे अपराध, जिसके लिये उसे प्रत्यक्ष कर कानूनों (**Direct Tax Laws**) के तहत अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था।
 - करों से बचने के लिये दूसरे लोगों को संक्षम करना।
 - मनी लॉन्ड्रिंग/धनशोधन [बोगस इनवॉइस (Bogus Invoices) जेनरेट करके पैसा लूटना]।
 - काले धन (अधोषति वैदेशी आय और संपत्ति) के तहत अज्ञात वैदेशी बैंक खाते या संपत्ति से संबंधित अपराध।
 - कर अधिनियम, 2015 या बेनामी लेनदेन (नषिध) अधिनियम, 1988 के तहत अधरिपण।